अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–67 / 1995

आदेश

15-02-2023 प्रस्तुत अधिकार वाद आज आदेश हेतु उपस्थापित किया गया, जिसमें वादी की ओर से बजरिये अधिवक्ता की ओर से हाजिरी दी गई एवं प्रतिवादी सं0–2, 3, 8 से 8 बी, प्रतिवादी सं0–10 से 13 एवं प्रतिवादी सं0–14 की ओर से बजरिये अधिवक्ता हाजिरी दी गई है।

प्रस्तुत वाद में संजय कुमार सिन्हा, सचिव, महाराजा कुंवर रूप नारायण ट्रस्ट, पिता–स्व0 रामानंद प्रसाद द्वारा दिनांक–18.01.2023 अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता में आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि सन् 1995 में वादी राम देव महतो ने उक्त वाद में श्याम बाबू सक्सेना, सचिव, महाराजा कुंवर रूप नारायण सिंह ट्रस्ट को प्रतिवादी सं0–1 तथा महाराजा कुंवर रूप नारायण सिंह ट्रस्ट को प्रतिवादी सं0–2 बनाया। उक्त महाराजा कुंवर नारायण सिंह ट्रस्ट बिहार हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत पंजीकृत है। बिहार हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने महाराजा कुंवर रूप नारायण सिंह ट्रस्ट के अधीन समस्त सम्पत्ति के प्रबंधन के लिए एक प्रबंध समिति बनाया। बिहार हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने महाराजा कुंवर रूप नारायण सिंह ट्रस्ट के सम्पत्ति के प्रबंधन के लिए एक नया प्रबंध समिति बनाया। प्रार्थी को पत्रांक–2825 दिनांक–02.02.2021 द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट की वर्तमान प्रबंध समिति का सचिव बनाया गया। प्रार्थी, प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–1 के रूप में एक आवश्यक और उचित पक्षकार है। न्यायहित में यह आवश्यक है कि प्रतिवादी सं0–2 के पूर्व सचिव का नाम हटा दिया जाय और उसके स्थान पर, प्रार्थी को प्रतिवादी सं0–1 के रूप में पक्षकार बनाया जाय। अतः पूर्व सचिव के नाम को हटाने तथा ट्रस्ट के वर्तमान सचिव (प्रार्थी) के नाम को प्रतिवादी सं0–1 के रूप में जोड़ने की कृपा की जाय।

वादीगण के द्वारा संजय कुमार सिन्हा के दिनांक–18.01.2023 अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सिविल प्रकिया संहिता के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। प्रत्युत्तर को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन विधि के तहत, साथ–ही तथ्य के आधार पर भी खारिज किए जाने योग्य है। यहां उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजय कुमार सिन्हा ने अपने प्रत्युत्तर के तहत अनुतोष के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई चिट या कागज दायर नहीं किया है और इसलिए केवल इस आधार पर ही प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन खारिज करने योग्य है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान वाद में पहली पेशी से ही प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 अपने संचालक वकील के माध्यम से सभी पैरवी करते आए हैं किंतु

प्रतिवादी सं0–2 द्वारा इस तरह के कथित तथ्यों का खुलासा कभी नहीं किया गया और इस प्रकार यह एक संदिग्ध स्थिति पैदा करता है और इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह विचारणीय नहीं है। अतः, प्रार्थी संजय कुमार सिन्हा द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–18.01.2023 को उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायहित में खारिज करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी सं0–8 से 8/बी द्वारा संजय कुमार सिन्हा के आवेदन दिनांक–18.01.2023 अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सिविल प्रकिया संहिता का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। प्रत्युत्तर को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रार्थी/इंटरवेनर द्वारा दाखिल किया आवेदन कानूनी दृष्टिकोण से गलत है और तथ्यों एवं पस्थितियों के आधार पर खारिज करने योग्य है। उक्त आवेदन दिनांक–18.01.23 के पारा–1 से 7 में कही गई सारी बातें बनावटी हैं और वाद को लम्बित रखने के नियत से दाखिल की गई है। तथाकथित ट्रस्ट के पास सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है और उक्त ट्रस्ट के द्वारा दायर किया गया वाद, हिंदू धार्मिक न्यास न्यायाधिकरण के समक्ष पूर्व में खारिज किया जा चुका है। अतः इंटरवेनर द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–18.01.2023 को खारिज करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी सं0–14 द्वारा इंटरवेनर संजय कुमार सिन्हा के आवेदन दिनांक–18.01.2023 का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। प्रत्युत्तर को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन न तो विधि के तहत और न ही तथ्यों के आधार पर बनाये रखने लायक है एवं खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी सं0–14 कथन करते हैं प्रार्थी को पत्रांक–2825 दिनांक–02.02.2021 द्वारा बी.एच.आर.टी., बोर्ड के वर्तमान प्रबंध समिति का सचिव बनाया गया। यदि न्यायालय यह पाती है कि बी.एच.आर.टी. बोर्ड के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत् है, तो शीघ्र ही बी.एच.आर.टी. बोर्ड के उपरोक्त आदेश के आधार पर प्रार्थी के आवेदन पर कानूनी दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन में कही गई सारी बातें गलत और बनावटी है। अतः इंटरवेनर के आवेदन दिनांक–18.01.2023 को खारिज करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी सं0–3, 6, 10 से 13 की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख एवं दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अधिकार वाद जब लाया गया तब प्रतिवादी सं0–1 के रूप में श्याम बाबू सक्सेना, पिता– स्व0 गोपी लाल सक्सेना को महाराजा कुंवर रूप नारायण सिंह ट्रस्ट के सचिव के रूप में पक्षकार बनाया गया है। तत्पश्चात् आदेश दिनांक–11.12.1996 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

इनकी मृत्यु के पश्चात् गजेन्द्र नारायण सक्सेना को प्रतिस्थापित किया गया एवं प्रार्थी के द्वारा दिया गया आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) और धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह तथ्य लाया गया है कि बी.एच.आर.टी. बोर्ड का लेटर नं0–2825 दिनांक–02.02.2021 के माध्यम से प्रार्थी को सचिव नियुक्त किया गया है, जिसके अवलोकन से न्यायालय को यह ज्ञात होता है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद् पटना के अधिसूचना में श्री संजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता जो कम सं0–3 पर सचिव के रूप में अंकित हैं, प्रस्तुत अधिसूचना में कुछ मौजा, तौजी संख्या एवं खाता संख्या अंकित किया गया है, जिसमें प्रस्तुत अधिकार वाद के वादग्रस्त सम्पत्ति का खाता संख्या एवं खेसरा संख्या वर्णित नहीं है और न ही पूर्व के प्रतिवादी सं0–1 के रूप में दर्ज नाम को हटाने का निर्देश दिया गया है और उनके स्थान पर वर्तमान सचिव श्री संजय कुमार सिन्हा अधिवक्ता को प्रतिवादी के रूप में प्रस्थापित करने का निर्देशित किया गया है और न ही पूर्व की कमिटि को अपास्त करने का तथ्य दर्ज है, इस प्रकार प्रार्थी को प्रस्तुत अधिकार वाद में पक्षकार बनाने का आदेश प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0–1 के नाम के स्थान पर प्रार्थी के नाम को पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। साथ–ही यह भी ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत अधिकार वाद अत्यंत पुराना है एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा प्रस्तुत अधिकार वाद को छः माह के अंदर निष्पादित करने हेतु आदेश प्राप्त है, इसलिए प्रार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अनावश्यक विविध प्रकार के आवेदन, प्रस्तुत अधिकार वाद में दाखिल करने से बचें ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्देशों का पालन यथाशीघ्र किया जा सके। साथ–ही उभयपक्ष को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक तिथि में अपने–अपने पक्ष को संचालित करें। वाद दिनांक–22.02.2023 अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

02.23.

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी